मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल अंतर्गत प्रदेश के समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री तथा समस्त कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक 23/06/2025 को आयोजित वीडियो कांफ्रेंस समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--oo--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उपसंचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्रियों/सहायक यंत्रियों तथा समस्त कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक 23-06-2025 को सायंकाल 04:30 बजे से मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक 117 में वीडियों कांफ्रेंस बैठक आयोजित की गई। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के अपर संचालक, अधीक्षण यंत्री, उप संचालक, कार्यपालन यंत्री, सहायक संचालक, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त संचालक/उप संचालक एवं तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री तथा समस्त कृषि उपज मंडी समितियों से मंडी सचिव उपस्थित रहे।

बैठक में तकनीकी संभाग रीवा के सहायक यंत्री श्री राघवेंद्र सिंह बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे। अतः श्री राघवेंद्र सिंह, सहायक यंत्री को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने हेतु अधीक्षण यंत्री मुख्यालय को निर्देशित किया गया।

बैठक में अग्रलिखित बिंदुवार चर्चा की गई:-

(अ) <u>प्रदेश के समस्त संभाग की मंडी समितियों में बैलेंस शीट की अद्यतन स्थिति:-</u>

प्रदेश की समस्त मंडी समितियों के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बैलेंस शीट की अद्यतन वस्तुस्थिति की समीक्षा की गई। भोपाल संभाग की समीक्षा में पाया गया कि 09 मंडी समितियों रेहटी, सिलवानी, लटेरी, कुरवाई, गुलाबगंज, पचोर, खुजनेर, खिरकिया एवं सेमरीहरचंद ने बैलेंस शीट तैयार कर प्रस्तुत नहीं की हैं। सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, सिलवानी को समक्ष में उपस्थित कराने हेतु आंचलिक अधिकारी भोपाल को निर्देशित किया गया। इंदौर संभाग की समीक्षा में पाया गया कि 06 मंडी समितियों कसरावद, सेगांव, बेडिया, खेतिया, हरसूद एवं मूंदी ने बैलेंस शीट की जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। इसी प्रकार उज्जैन संभाग की समीक्षा में पाया गया कि 08 मंडी समितियों कन्नौद, गरोठ, पिपल्या, सुवासरा, सीतामउ, भानपुरा, जावद एवं शाजापुर ने बैलेंस शीट तैयार कर प्रस्तुत नहीं की है। ग्वालियर संभाग की समीक्षा में पाया गया कि कृषि उपज मंडी समिति आलमपुर द्वारा बैलेंस शीट तैयार कर प्रस्तुत नहीं की गई है। इसी प्रकार जबलपुर संभाग की समीक्षा में पाया गया कि 10 मंडी समितियों शहपुरा, वारासिवनी, परसवाड़ा, मोहगांव,

छिंदवाड़ा, डिंडौरी, शहपुरा निवास एवं गाड़रवाड़ा, तेंदूखेड़ा एवं केवलारी द्वारा बैलेंस सीट की जानकारी प्रेषित नहीं की गई है।पूर्व की समीक्षा बैठकों में बैलेंस शीट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु सतत निर्देश दिए जाने के उपरांत भी समय-सीमा में कार्य संपादित नहीं कराया गया है, जिस पर असंतोष व्यक्त किया गया। समस्त आंचलिक अधिकारियों का यह दायित्व था कि समय-सीमा में बैलेंस शीट तैयार कराते हुए जानकारी उपलब्ध कराई जावे। उक्त समस्त मंडी समितियों के सचिवों द्वारा समय-सीमा में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई अतः एक दिवस का वेतन काटने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अंतिम समय-सीमा 30 जून 2025 तक शेष समस्त मंडियों की बैलेंस शीट की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

(ब) <u>संभागवार समीक्षा:-</u>

1. <u>रीवा संभाग की समीक्षा:-</u>

- <u>मासिक एवं प्रगामी आय/आवक की समीक्षा</u>:-रीवा संभाग की आय/आवक की समीक्षा में पाया गया कि संभाग की तुलनात्मक मासिक आवक में -13% की कमी दर्ज हुई है। तुलनात्मक प्रगामी आवक में +7% एवं प्रगामी आय +58% दर्ज हुई है। संभाग की बुढार मंडी में -19% की एवं बैकुंठपुर मंडी में -11.85% की प्रगामी आवक में कमी दर्ज हुई है। आंचलिक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि मंडी प्रांगणों में लगातार आवक बढ़ाने के प्रयास करें तथा कर अपवंचन को रोकते हुए आय में सतत वृद्धि की जावे।
- <u>ई-मंडी की समीक्षा</u>:- रीवा संभाग की मंडियों की समीक्षा में पाया गया कि कृषि उपज मंडी समिति जैतहरी में माह जून 2025 में समीक्षा अवधि तक मात्र 05 लेन-देन ही ई-मंडी पर दर्ज हुए हैं, जो कि बहुत अल्प हैं। श्री रविंद्र सिंह लंबी समयावधि से मंडी जैतहरी में सचिव के पद पर पदस्थ हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा रीवा संभाग की समीक्षा में रीवा कलेक्टर के द्वारा सचिव, कृषि उपज मंडी समिति जैतहरी की कार्यप्रणाली से संबंधित शिकायतें की गई हैं। अतः सचिव जैतहरी को निलंबित करते हुए भोपाल मुख्यालय में संलग्न करने के निर्देश दिए गए(कार्यवाही:- कार्मिक शाखा, मुख्यालय)। संभाग की मैहर मंडी में ई-मंडी पर शून्य लेन-देन दर्ज होना पाए गये। इसी प्रकार बुढार मंडी में ई-मंडी पर शून्य लेन-देन दर्ज हुए हैं। यह आंचलिक अधिकारी की कार्यप्रणाली ठीक न होना दर्शाता है। आंचलिक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उक्त प्रकरण में कार्यवाही प्रस्तावित की है। निरीक्षण शाखा, मुख्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
- <u>निरीक्षण कार्यवाही की समीक्षा</u>:- समीक्षा में पाया गया कि संभाग में निरीक्षण उपरांत कुल 13 प्रकरण बनाये जाकर कुल राशि रू 4,16,155/- की दाण्डिक शुल्क

अधिरोपित करने की कार्यवाही की गई है। प्रति मंडी में 05 निरीक्षण करने के निर्देश पूर्व की समीक्षा बैठकों में दिए गए हैं।अतः लगातार निरीक्षण की कार्यवाही करते हुए कर अपवंचन को रोका जावे। संभाग में महुआ फूल के कम दर पर विक्रय करवाते हुए कर अपवंचन की शिकायत प्रकाश में आई है। अतः आंचलिक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि मंडी में आने वाले महुआ विक्रेताओं को उचित मूल्य पर उपज का विक्रय कराते हुए नियमानुसार मंडी शुल्क की वसूली की जावे।

- अतिक्रमण की समीक्षा:- आंचलिक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रांगणों के पुराने अतिक्रमण हटाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। 03 माह की समयावधि में कागजी कार्यवाही पूर्ण कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।

2. सागर संभाग की समीक्षा:-

- मासिक एवं प्रगामी आय/आवक की समीक्षा:- सागर संभाग की आय/आवक की समीक्षा में पाया गया कि संभाग की तुलनात्मक प्रगामी आय में -16.55% की कमी दर्ज हुई है। संभाग की कृषि उपज मंडी समिति केसली, सिमरिया एवं देवेंद्रनगर की प्रगामी आवक में कमी परिलक्षित हुई है। उक्त मंडियों के सचिवों को प्रगामी आवक में कमी होने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। आंचलिक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि श्री तानसेन कोल, मंडी निरीक्षक पर मंडी देवेंद्रनगर का अतिरिक्त प्रभार है, इनकी मूल पदस्थापना सतना होने से कार्यालयीन कार्य सुगमता से संपादित नहीं किए जाते। अतः श्री तानसेन कोल, मंडी निरीक्षक की पदस्थापना एक स्थान पर करते हुए देवेन्द्रनगर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करने के निर्देश दिए गए (कार्यवाही:- कार्मिक शाखा, मुख्यालय)। आंचलिक अधिकारी को निर्देशित किया गया आवक बढ़ाते हुए आय में सतत वृद्धि करने के प्रयास किए जावे।
- ई-मंडी की समीक्षा:- सागर संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ऐसे प्रकरण प्रकाश में आये है कि कृषकों के मंडी गेट में प्रवेश से लेकर उपज भुगतान तक की कार्यवाही 01 घंटे में पूरी हो रही है। अतः ई-मंडी योजना में डाटा फीडिंग ना की जाकर वास्तविक रूप से योजना का क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करावें।
- निरीक्षण कार्यवाही की समीक्षा:- समीक्षा में पाया गया कि संभाग में निरीक्षण उपरांत कुल 31 प्रकरण बनाये जाकर कुल राशि रू 17,16,000/- दाण्डिक शुल्क अधिरोपित की जाकर राशि रू 1,63,000/- दाण्डिक शुल्क के रूप में वसूल किए गए है तथा शेष राशि की वसूली प्रक्रियाधीन है। माह मई में संभाग की मंडी समिति बामौरा, देवेंद्रनगर एवं निवाड़ी मंडी द्वारा निरंक निरीक्षण होना पाया गया है। अतः उक्त मंडी समितियों द्वारा यदि विगत 02 माह में एक भी निरीक्षण होना नहीं पाया

गया है। तो उक्त मंडी सचिवों की एक वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

- अतिक्रमण की समीक्षा:- आंचलिक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि उपज मंडी समिति बीना में पुराने 36 अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 03 माह की समयावधि में शेष अतिक्रमण की कागजी कार्यवाही पूर्ण कर हटाने के निर्देश दिए गए।

3. ग्वालियर संभाग की समीक्षा:-

- मासिक एवं प्रगामी आय/आवक की समीक्षा:- ग्वालियर संभाग की आय/आवक की समीक्षा में पाया गया कि ग्वालियर संभाग ने प्रदेश के अन्य सभी संभागों से अच्छा प्रदर्शन किया है। कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी के औद्योगिक क्षेत्रों की गोदामों का निरीक्षण करने हेतु श्री अरविंद परिहार, सचिव के नेतृत्व में दल गठन करने के निर्देश दिए गए। कृषि उपज मंडी समिति पिछौर की आय +65% दर्ज हुई। खनियाधाना मंडी के आंकड़े पुन: परीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
- ई-मंडी की समीक्षा:- ग्वालियर संभाग की ई-मंडी की समीक्षा में पाया गया कि कृषि उपज मंडी समिति रन्नौद में मात्र 04 एवं बानमौरकलां में मात्र 01 ही लेन-देन पोर्टल पर दर्ज हुआ है। उक्त मंडी समितियों के सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त मंडियों में फसल का विक्रय सौदा पत्रक या फॉर्मगेट एप के माध्यम से होने से आवक नहीं होती है। अत: मंडी सचिव को निर्देशित किया गया कि कृषकों को उचित मूल्य दिलाये जाने हेतु व्यापारियों को मंडी प्रांगण में व्यापार करने हेतु प्रोत्साहित करें।
- निरीक्षण कार्यवाही की समीक्षा:- समीक्षा में पाया गया कि संभाग में निरीक्षण उपरांत कुल 106 प्रकरण बनाये जाकर कुल राशि रू 8,67,485/- दाण्डिक शुल्क अधिरोपित की जाकर वसूल किए गए है। माह मई में संभाग की मंडी समिति खतौरा, मगरोनी, पिछोर, आलमपुर एवं पोरसा में निरंक निरीक्षण होना पाया गया है। अत: उक्त मंडियों में निरंक निरीक्षण पाये जाने पर मंडी सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।
- अतिक्रमण की समीक्षा:- आंचलिक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि उपज मंडी समिति खनियाधाना में 02-03 अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की गई है। 03 माह की समयावधि में शेष अतिक्रमण की कागजी कार्यवाही पूर्ण कर हटाने के निर्देश दिए गए।
- जवाबदावा हेतु शेष प्रकरणों की समीक्षा:- संभाग की समीक्षा में कुल 13 प्रकरणों में जवाबदावा दायर होना शेष पाया गया। उक्त प्रकरण बहुत पुराने होने से संभागीय

अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अविलंब जवाबदावा दायर कराया जाना सुनिश्चित करें।

- <u>बोर्ड ऋण की समीक्षा:-</u> बोर्ड द्वारा संभाग की कृषि उपज मंडी समितियां को प्रदाय ऋण की समीक्षा में पाया गया कि मंडियां ऋण की अदायगी समय पर नहीं कर रही हैं। यह ऋण वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदाय किया गया है। संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मंडी समितियों को निर्देशित किया गया है कि उपार्जन से प्राप्त मंडी शुल्क की राशि से किश्त बनाकर ऋण की अदायगी की जावे।

4. <u>जबलपुर संभाग की समीक्षा</u>:-

- <u>मासिक एवं प्रगामी आय/आवक की समीक्षा</u>:- जबलपुर संभाग की आय/आवक की समीक्षा में पाया गया कि संभाग तुलनात्मक मासिक आवक में -20.76% की एवं प्रगामी आय में -40.54% की कमी दर्ज हुई है।संभाग अंतर्गत क वर्ग की मंडी समिति सिहोरा की आय में -72.64% की कमी दर्ज होने पर सचिव सिहोरा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार मंडी समिति बालाघाट की आय में -83.87% की कमी दर्ज होने पर समस्त कर्मचारियों के अन्यत्र स्थानांतरण करने के निर्देश दिए गए। बालाघाट जिले की अन्य मंडियों वारासिवनी, कटंगी, लालबर्रा, मोहगांव, परसवाड़ा एवं खैरलांजी में आय में अत्यधिक कमी परिपलक्षित हुई। अत: बालाघाट जिले के समस्त मंडी सचिवों को जबलपुर संभाग में कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की समीक्षा उपरांत समक्ष में उपस्थित कराने हेतु आंचलिक अधिकारी को निर्देशित किया गया। उक्त सचिव साथ में मंडी संचालन के कार्य में निपुण एक मंडी निरीक्षक या एक सहा0 उपनिरीक्षक को साथ में लायेंगे। क वर्ग की कृषि उपज मंडी समिति छिंदवाड़ा की आय में कमी दर्ज होने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। मंडी समिति सौंसर, मोहगांव एवं वारासिवनी में एक माह की समयावधि में प्रगामी आवक में वृद्धि न होने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
- <u>निरीक्षण कार्यवाही की समीक्षा</u>:- समीक्षा में पाया गया कि संभाग में निरीक्षण उपरांत कुल 114 प्रकरण बनाये जाकर कुल राशि रू 14,23,472/- दाण्डिक शुल्क अधिरोपित की जाकर वसूल किए गए है। माह मई में संभाग की मंडी समिति नरसिंहपुर, सिवनी, परसवाड़ा एवं डिंडोरी में निरंक निरीक्षण होना पाया गया है। अत: उक्त मंडियों में निरंक निरीक्षण पाये जाने पर मंडी सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।

5. <u>उज्जैन संभाग की समीक्षा:-</u>

- <u>मासिक एवं प्रगामी आय/आवक की समीक्षा</u>:- उज्जैन संभाग की आय/आवक की समीक्षा में पाया गया कि संभाग तुलनात्मक मासिक आवक में 17.99% की वृद्धि एवं प्रगामी आय में -13.97% की कमी दर्ज हुई है। आय में कमी का कारण स्पष्ट करते हुए आंचलिक अधिकारी द्वारा बताया गया कि मक्का, मूंग, उड़द, गेहूं एवं अन्य जिंसों की आवक में वृद्धि होने के बाद भी आय में कमी का कारण जिंसों के भाव में कमी होना रहा है। कृषि उपज मंडी समिति देवास, उज्जैन, मंदसौर, आगर-मालवा, रतलाम, शाजापुर, मक्सी एवं अन्य मंडी समितियों के आय/आवक की समीक्षा की गई। सचिव मंदसौर द्वारा आय में कमी का मुख्य कारण लहसुन का भाव कम होना बताया गया। मंडी में पोस्तादाना की आवक बढ़ाने के प्रयास करने हेतु मंदसौर मंडी सचिव को निर्देशित किया गया। संभाग की मंडियों की आय में कमी होने पर अप्रसन्नता प्रकट की गई। उक्त मंडियों की आय में कमी होने पर आंचलिक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 03 दिवस की समय-सीमा में मण्डी सचिवों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें।
- <u>निरीक्षण कार्यवाही की समीक्षा</u>:- समीक्षा में पाया गया कि संभाग में निरीक्षण उपरांत कुल 10 प्रकरण बनाये जाकर कुल राशि रू 62,750/- दाण्डिक शुल्क अधिरोपित की गई है। उक्त लक्ष्य पूर्व में दिए निर्देशों के अनुरूप नहीं होने से अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

6. <u>इंदौर संभाग की समीक्षा</u>:-

- <u>मासिक एवं प्रगामी आय/आवक की समीक्षा</u>:- इंदौर संभाग की आय/आवक की समीक्षा में पाया गया कि संभाग की तुलनात्मक मासिक आवक में +17.07% की वृद्धि एवं प्रगामी आय में बहुत कम मात्र +3.41% की वृद्धि दर्ज हुई है। इंदौर की आय में -18.63% की कमी दर्ज हुई। इंदौर सचिव द्वारा बताया गया कि आवक में वृद्धि होते हुए भी आय में कमी प्याज आदि जिंसों के भाव में कमी होने से है। संभाग अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति सांवेर की आय में -21.84% की कमी दर्ज हुई है। संभाग की मंडियों की आय में कमी होने पर अप्रसन्नता प्रकट की गई।
- <u>निरीक्षण कार्यवाही की समीक्षा</u>:- समीक्षा में पाया गया कि संभाग में निरीक्षण उपरांत कुल 10 प्रकरण बनाये जाकर कुल राशि रू 3,05,202/- दाण्डिक शुल्क अधिरोपित की गई है। संभाग की कृषि उपज मंडी समिति कसरावद में माह मई में निरंक निरीक्षण होना पाया गया।उक्त लक्ष्य पूर्व में दिए निर्देशों के अनुरूप नहीं होने से अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

7. <u>भोपाल संभाग की समीक्षा</u>:-

- <u>मासिक एवं प्रगामी आय/आवक की समीक्षा</u>:- भोपाल संभाग की आय/आवक की समीक्षा में पाया गया कि संभाग की तुलनात्मक मासिक आवक में -11.50% की एवं प्रगामी आय में -52.21% की कमी दर्ज हुई है। यह प्रदेश के समस्त संभागों की आय में सबसे कम है। संभाग अंतर्गत क वर्ग की कृषि उपज मंडी समिति बरेली की आय में -85%, विदिशा में -64.26%, बानापुरा में -56.71%, भोपाल में -55.58%, सीहोर में -54.99% एवं क वर्ग की 12 मंडियों की आय में अप्रत्याशित कमी दर्ज होने पर अप्रसन्नता प्रकट की गई। उक्त मंडियों की प्रांगण में वास्तविक आवक के आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार संभाग की ब वर्ग की मंडियों में होशंगाबाद में -91%, रायसेन में -83% एवं अन्य मंडियों की आय में कमी होना पाया गया। उक्त आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि मंडी सचिवों के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वाहन ठीक ढंग से न किया जाकर अधीनस्थों के भरोसे मंडियों का संचालन कराया जा रहा है। आंचलिक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त मंडियों की आय में वृद्धि हेतु सतत प्रयास किये जावें।
- <u>निरीक्षण कार्यवाही की समीक्षा</u>:- समीक्षा में पाया गया कि संभाग में निरीक्षण उपरांत कुल 10 प्रकरण बनाये जाकर कुल राशि रू 32,813/- दाण्डिक शुल्क अधिरोपित की गई है। उक्त लक्ष्य पूर्व में दिए निर्देशों के अनुरूप नहीं होने से अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

(स) <u>ई-अनुज्ञा पोर्टल पर GSTIN & PAN नंबर की ENTRY</u>:-

प्रदेश की समस्त मंडी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के GSTIN & PAN नंबर ई-अनुज्ञा पोर्टल पर एक सप्ताह की समयावधि में दर्ज करने हेतु मुख्यालय के पत्र क्रमांक 36 दिनांक 11.06.2025 से निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के उपरांत भी ई-अनुज्ञा पोर्टल पर उक्त जानकारी दर्ज किए जाने में बहुत विलंब किया जा रहा है। अतः समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि 30 जून तक उक्त जानकारी अनिवार्यतः पोर्टल पर दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें।

(द) <u>प्रांगणों के नामांतरण की समीक्षा</u>:-

प्रदेश के समस्त संभागों की जिन मंडी प्रांगणों का नाम आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ हैं, आंचलिक अधिकारी ऐसी मंडियों को चिन्हित करते हुए जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित करें तथा एक सप्ताह की समयावधि में नामांतरण की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

(य) <u>Change Management System के Piolet Project की समीक्षा</u>:-

ई-अनुज्ञा पोर्टल पर भुगतान पत्रक, अनुज्ञा पत्र, मंडी शुल्क रसीद आदि की एंट्री में त्रुटियां होने पर सुधार हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे संशोधन की

कार्यवाही में अधिक समय लगता है। अतः उक्त संशोधन मंडी स्तर से ही किए जा सके इसके लिए Change Management System को पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में टेस्टिंग हेतु सात मंडी समितियों भोपाल, इंदौर जबलपुर, सतना, डबरा, उज्जैन एवं सागर से 15 दिवस में प्रतिवेदन चाहा गया था। जो वर्तमान तक अपेक्षित है। अतः समस्त आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह की समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

<u>अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:-</u>

- प्रदेश की मंडियों की आय-आवक में कमी का कारण उपार्जन संस्थाओं से मंडी शुल्क प्राप्त न होना मान्य योग्य नहीं है। समस्त सचिव सत्यापन उपरांत ही अनुज्ञा जारी करेंगे। कोई भी सचिव अनावश्यक सत्यापन न करें।
- आगामी समीक्षा बैठकों में मंडी शुल्क की आय एवं उपार्जन से प्राप्त मंडी शुल्क की आय के आंकड़ों को पृथक-पृथक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही संभागों की मंडियों को श्रेणीवार क्रमशः क एवं ख तथा ग एवं घ श्रेणियों में मंडियों की आवक/आय का वर्गीकरण किया जावे। (कार्यवाही:- नियमन एवं समन्वय शाखा)
- <u>मंडी प्रांगणों में वृक्षारोपण:-</u>प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में वृक्षारोपण किया जाने की समीक्षा की गई। वर्षा काल में वृक्षारोपण की तैयारी चरणबद्ध तरीके से करते के निर्देश दिए गए। कार्यवाही:- अधीक्षण यंत्री।
- <u>मंडियों की रैंकिंग:-</u> मुख्यालय से मंडियों की A & B श्रेणी में रैंकिंग किए जाने हेतु मुख्यालय से निर्धारित पैरामीटर अनुसार मंडियों की रैंकिग किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। समीक्षा में अवगत कराया गया कि रैंकिंग के पैरामीटर प्रसारित किए गए थे, जिन पर कुछ मंडियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई हैं। अतः शीघ्रता से मंडियों के रैंकिंग की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
- <u>संभागों की आय-आवक की वस्तुस्थिति:-</u> समीक्षा करने पर पाया गया कि संभागों की आय-आवक की स्थिति ठीक नहीं है। आय-आवक में वृद्धि के लिए कार्ययोजना तैयार करें। समस्त अधिकारी/कर्मचारी टीम भावना के साथ कार्य करें। मंडियां स्ववित्त पोषित हैं अतः मंडियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते/पेंशन की सुनिश्चितता हेतु आय में वृद्धि आवश्यक है।

<u>(धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समीक्षा बैठक संपन्न हुई।)</u>

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/वी.कां. समीक्षा बैठक/जून/2025/2236 भोपाल,दिनांकः-15/07/2025

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री/ सहायक संचालक/सहायक यंत्री (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. संयुक्त संचालक/उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त) की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन बिंदुवार तैयार कर 07 दिवस की समय-सीमा में अनिवार्यतः उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। तदनुसार आगामी वीडियों कॉफ्रेंस समीक्षा बैठक में पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की जा सके।
7. कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग(समस्त)।
8. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त) मध्यप्रदेश।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल